# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 323/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

अमित कुमार पुत्र सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुमन
3. पुष्पा
4. नीतू
5. मंजू

   पुत्रीयां सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह सूच – वकील वादी
2. श्री संजय सहू – वकील प्रति.सं. 1 ता 5

निर्णय दिनांक :– 12.8.24

वादी अमित कमार ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 18.06.2024 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता है। वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र/पुत्रीयां हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 1 ए.एम.पी.–बी. के खाता सं. 160/49 जं.सं. 2070–2073 में 3.036 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 1 डी.एन.जी. खाता सं. 72/3 जं.सं. 2071/2074 में 4.174 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलग्न वादपत्र हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 1 ए.एम.पी.–बी. के खाता सं. 160/49 जं.सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

–लगातार–2–

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

2070—2073 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता सं. 72/3 ज.सं. 2071/2074 में 4.174 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की विरासतन प्राप्त भूमि हैं। इस भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि का घरू—बंटवारा कर रखा हैं। वादी के हिस्सा में चक नं. 1 ए.एम.पी.—बी. के खाता सं. 160/49 ज.सं. 2070—2073 में 3.036 है. भूमि आई हैं। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई हैं। इसलिए वादी चक नं. 1 ए.एम.पी.—बी. के खाता सं. 160/49 ज.सं. 2070—2073 में 3.036 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 6 का ज्वाब दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. 1 ए.एम.पी.—बी. के खाता सं. 160/49 ज.सं. 2070—2073 में 3.036 हैं. व चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता सं. 72/3 ज.सं. 2071/2074 में 4.174 है. नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि चक नं. 1 ए.एम.पी.—बी. के खाता सं. 160/49 ज.सं. 2070—2073 में 3.036 हैं. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 01 सुखदेव सिंह पुत्र रिछपाल का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] के समर्थन में वादी की ओर से कुल 1 व 2 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादी [illegible] प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नहीं [illegible] 5 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि है [illegible] वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

लगातार—3—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः बाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादी को चक नं. 1 ए.एम.पी.–बी. के खाता सं. 160/49 जं.सं. 2070–2073 में 3.036 हैं. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 01 सुखदेव सिंह पुत्र रिछपाल का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोट:– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राकेश कुमार मीना )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 323 / 2024

वाद पत्र अंधारा :– 88 आरटीए

अमित कुमार पुत्र सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

**बनाम्**

1. सुखदेव सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुमन
3. पुष्पा
4. नीतू
5. मंजू

(2–5) पुत्रीयां सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 12.8.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह सूच वकील वादी व श्री संजय सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी को चक नं. 1 ए.एम.पी.–बी. के खाता सं. 160 / 49 जं.सं. 2070–2073 में 3.036 हैं. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 01 सुखदेव सिंह पुत्र रिछपाल का नाम कलमजन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज....x....नल....x....मुब्लिक....x....निल....x....बाबत....x....निल....x.... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....x....अदा बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.8.24 जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया